



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122021-232092
CG-DL-E-23122021-232092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4980]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 2021/पौष 2, 1943

No. 4980]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 2021/PAUSA 2, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5371(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध असम राज्य के निम्नलिखित जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्,—

- अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45अ से धारा 45ज तक;
- अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83।

क्रम संख्या	राज्य	अधिसूचित जिलों के नाम
1.	असम	बारपेटा, बोंगाई गांव, विश्वनाथ, कछार, चिरांग, दरांग, धेमाजी, धुबरी, गोलाघाट, गोलपारा, लखीमपुर, माजुली, नलबाडी, मारीगांव, नागांव, सिबसागर, उदलगुरी, पश्चिम कार्बी आंगलोंग (जिले में पहले से अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर)।
2.	असम	कार्बी आंगलोंग, करीमगंज, दक्षिण सालमारा मनकाचर।

[फा. सं. एस-38013/11/2021-एस.एस-1]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 2021

S.O. 5371(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of January, 2022, as the date on which the provisions of the said Act, namely,-

- (i) sections 38, 39, 40, 41, 42, 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of sections 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in the entire areas of the following districts in the State of Assam:-

Sl. No.	State	Name of the districts notified
1.	Assam	Barpeta, Bongaigaon, Bishwanath, Cachar, Chirang, Darrang, Dhemaji, Dhubri, Golaghat, Goalpara, Lakhimpur, Majuli, Nalbari, Marigaon, Nagaon, Sibsagar, Udalguri, West Karbi Anglong (in addition to the already implemented area in the district).
2.	Assam	Karbi Anglong, Karimganj, South Salmara Mankachar.

[F. No. S-38013/11/2021-SS-I]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.